भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1803

(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एनएसएपी की प्रभावशीलता

1803. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत कार्यान्वित विभिन्न घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने निर्धनों , विशेषकर वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में एनएसएपी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यापक परिणाम क्या रहे हैं;

(घ) क्या पारदर्शिता और लाभों के वितरण में सुधार के लिए एनएसएपी के कार्यान्वयन और निगरानी में किसी प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेप को एकीकृत किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक 100% वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्य शामिल हैं। इसमें निम्नलिखित पांच योजनाएं शामिल हैं:

i. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों को ₹ 200/- प्रति माह और 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को ₹ 500/- प्रति माह की सहायता।

ii. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: 40-79 वर्ष के आयु वर्ग की विधवाओं को ₹ 300/- प्रति माह और 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की विधवाओं को ₹ 500/- प्रति माह की सहायता।

iii. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना: गंभीर या बहु-दिव्यांगता वाले 18-79 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों को ₹ 300/- प्रति माह और 80 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों को ₹ 500/- प्रति माह की सहायता।

iv. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना: परिवार के 18 से 59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर शोक संतप्त परिवार को ₹ 20,000/- की एकमुश्त सहायता।

v. अन्नपूर्णा योजना: पात्र होने के बावजूद वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह 10 किलो निःशुल्क खाद्यान्न।

(ख) एवं (ग) मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा एनएसएपी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रभाव मूल्यांकन और समीक्षा अध्ययन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर की निगरानी, मंत्रालय की एक पहल है जिसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पारदर्शिता, जवाबदेही और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निगरानीकर्ताओं को शामिल करके , यह प्रणाली इस बात की निष्पक्ष जानकारी प्रदान करती है कि जमीनी स्तर पर योजनाओं को कैसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

ये मूल्यांकन जमीनी स्तर पर संतोषजनक कार्यान्वयन की ओर संकेत करते हैं , जिसमें अधिकांश लाभार्थियों ने पेंशन के चयन , स्वीकृति और वितरण की प्रक्रियाओं पर संतोष व्यक्त किया है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि पेंशन का उपयोग मुख्य रूप से भोजन और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही उनमें सहायता की पर्याप्तता में सुधार, समय पर और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने, लाभार्थी सत्यापन और निगरानी प्रणालियों को सुदृढ़ करने जैसे उपायों के माध्यम से कार्यक्रम को और अधिक सशक्त बनाने की सिफारिश भी की गई है।

(घ) एवं (ङ) मंत्रालय ने पारदर्शिता और लाभ पहुंचाने में सुधार के लिए एनएसएपी के कार्यान्वयन और निगरानी में कई तकनीक-आधारित कार्यकलापों को एकीकृत किया है। वेब-आधारित पेंशन भुगतान पोर्टल , एनएसएपी-पीपीएस (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-पेंशन भुगतान प्रणाली) को पीएफएमएस के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में पेंशन वितरण के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल साधन के रूप में संचालित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले पेंशन लाभों के प्रबंधन और निगरानी के लिए किया जाता है। यह पोर्टल लाभार्थी रिकॉर्ड के रखरखाव , पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया और पेंशन वितरण में पारदर्शिता तथा दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निधि वितरण की ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त , लाभार्थियों के आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए एक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया गया है।

*****